

नामान्तरण संबंधी (अंचल अधिकारी के न्यायालय का)

आदेश फलक

1348/13-14

(अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक का सं. 1348

तारीख 1-10-13 से 10-10-13 तक

जिला पटना अनुमण्डल:- बाढ़ अंचल :- बाढ़ का केस का प्रकार दाखिल -
- सीर एवं वर्ष 1913-14

आदेश की सं०	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में तारीख सहित
1-10-13	<p>श्री/श्रीमति श्री/श्रीमती <u>पद्म पाठक श्री धनलाल पासराज</u> पिता/पति <u>दीर पासराज</u> ग्राम <u>धरुंगी</u> थाना <u>बैतकी</u> जिला पटना अंचल, बाढ़ जिला ने निम्नलिखित जमीन बिक्री/दानपत्र/वख्शीशानामा बँटवारा/विनिमय/उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त किया है तथा इसके नामान्तरण का आवेदन समर्पित किया है।</p> <p>अतः संबंधित वसीका सह कागजात को हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से नामान्तरण के विन्दू पर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निर्देशित करे। अभिलेख दिनांक <u>4-10-13</u> को उपस्थापित करे।</p> <p>जमीन का विवरण ग्राम/थाना नं० <u>धरुंगी</u> खाता नं० <u>302</u> खेसरा <u>328, 253, 252</u> रकबा <u>12.500</u></p> <p>अंचल अधिकारी बाढ़</p>	
4-10-13	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। हल्का कर्मचारी को जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ। प्रतिवेदन के अवलोकन से</p>	

विदित होता है कि प्रतिवेदन जमीन विक्री पत्र/दानपत्र/वखशीसनामा
बंटवारा/विनिमय/उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त की गयी है। अतः
नामान्तरण स्वीकृति के पूर्व आपत्ति आमंत्रण हेतु केता,विकेता एवं आम
महाल के नाम से सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 9-10-13
को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी
बाढ़

9-10-13 तामिला प्रतिवेदन प्राप्त।

तामिला के उपरान्त किसी भी व्यक्ति के द्वारा
काई आपत्ति दर्ज नहीं किया गया। अभिलेख दिनांक 10-10-13
को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी
बाढ़

(10-10-13) हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर
राजस्व वसूली हित में स्वत्व प्रभावित नहीं करते हुए नामान्तरण की
शुद्धि पत्र निर्गत करें।

अंचल अधिकारी
बाढ़

अंचल अधिकारी
बाढ़